

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 626 व 627 / 2012 / बूंदी

मैसर्स अडानी विलमार लि.,  
कोटा-जयपुर हाईवे, सिलोर रोड,  
जिला-बूंदी।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी,  
सुश्री ईशु जैन, (सी.ए.)  
अभिभाषकगण।

.....अपीलार्थी की ओर से

अभिभाषक।

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.04.2015 ✓

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त दोनों अपीलें, उपायुक्त, (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर, कैम्प-कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 11.01.2012, जो क्रमशः अपील संख्या 10/वेट/2010-11/बूंदी व 01/सीएसटी/2010-11/बूंदी के संबंध में हैं, के विरुद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2011 में अपीलार्थी द्वारा चाहे गये कर के आस्थगन लाभ में से क्रमशः रु.47,28,015/- व रु.1,11,921/- की राशि को अस्वीकार करने संबंधी पारित आदेश की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2011 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त निर्धारण जांच कर, यह पाया

लगातार.....2

गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को राजधान विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1998 (जिसे आगे "प्रोत्साहन योजना" कहा जायेगा) के तहत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) में स्वीकृत कर मुक्ति लाभ के कुल रु.1201.863 लाख में से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006 के तहत आस्थगन योजना के तहत अपीलार्थी द्वारा विकल्प चाहने पर इस संबंध में दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 20.01.2011 तक के लिये कर का आस्थगन लाभ उक्त अधिसूचना के तहत स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्गत टैक्स (Output Tax) पर आस्थगन का लाभ आलोच्य निर्धारण अवधि में लिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के बिन्दु संख्या-4 व अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आलोक में, चाहे गये आस्थगन लाभ को अस्वीकार कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में "संदेय कर"(Tax Payable) की व्याख्या मनमर्जी से की है। इस संबंध में "अधिनियम" की धारा 4 व धारा 17 के प्रावधानों की ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि चाहे गये आस्थगत लाभ को अस्वीकार करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है एवम् "संदेय कर"(Tax Payable) शब्दावली की व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि आगत कर का मुजरा एडवान्स टैक्स के बराबर है एवम् उक्त को संदेय कर (Tax Payable) पर स्वीकार किया जाता है। Tax Payable को अधिनियम की धारा 4 के तहत परिभाषित है जिसके अनुसार कर की गणना कर योग्य आवर्त पर की जाती है इसलिये आगत कर की मुजरा राशि को संदेय कर (Tax Payable) में से कम नहीं किया जा सकता। अग्रिम अभिवाक् किया कि आगत कर की मुजरा राशि का समायोजन केवल Due Tax Payable से ही किया जा सकता है जिससे कि शुद्ध जमा करवाने योग्य कर का आंकलन किया जा सके। कथन किया कि प्रोत्साहन योजन के तहत आस्थगन कुल कर दायित्व पर क्लेम किया

श्री गणेश

h

जाता है और कुल कर दायित्व वह राशि है जो माल की कीमत पर निर्धारित कर दर से गणना की जाती है। जब कर दायित्व की गणना की जाती है तो उसमें से अपीलार्थी द्वारा क्लेम किये गये आगत कर की मुजरा राशि को कम नहीं किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डेफर टैक्स का लाभ उसके द्वारा निर्मित कर योग्य माल पर बनने वाले कुल कर पर देय है उसमें से आगत कर की मुजरा राशि का कम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है एवम् आगत कर वह कर है जो उसके द्वारा पूर्व में चुकाया गया है जो एडवान्स टैक्स में से समायोजन योग्य है। अतः अस्वीकार किये गये आस्थगन लाभ को दोनों अपील प्रकरणों में स्वीकार कर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्क के समर्थन में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2014) 74 वीएसटी 518 मैसर्स सोनेक्स ऑटो इण्डस्ट्रीज़ प्रा.लि., बनाम् हरियाणा राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 25.07.2014 तथा (1991) 83 एस.टी.सी. 234 (सु.को.) को प्रोद्धरित किया गया ।

6. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पुरजोर समर्थन कर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः इनकी पुष्टि कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ताजा विधिक स्थिति का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम.लि., बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य तथा मैसर्स उमा पोलीमर्स लि., बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य क्रमशः एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 6903/2009 व 10230/2009 के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 24.11.2011 पारित कर, कर संदाय (Tax Payable) के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उत्पन्न विवादों का निस्तारण कर, निर्णय के पैरा-9 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है, जो इस प्रकार है :- ".....The Contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with


heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is  $O [(output\ tax) + R(reverse\ tax) + P (tax\ payable\ under\ section\ 4(2)) - I (Input\ tax)]$ . Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act....."

7. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 24.11.2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, शुद्ध कर (NET TAX) ही कर संदाय (Tax payable) योग्य है। जहां तक विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी ईकाई का लाभ लिया जाना है अथवा नहीं इस संबंध में प्रावधानों को सूक्ष्मता से जांचा जाना चाहिये; परन्तु एक बार ईकाई को लाभान्वित ईकाई मान लिया जाये तो फिर प्रावधानों की संकीर्णता से व्याख्या नहीं की जा सकती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त सिद्धांत विवादित नहीं है, बल्कि लाभ की गणना विवादित है, जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम.लि., बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा मैसर्स उमा पोलीमर्स लि., बनाम राजस्थान राज्य व अन्य कमशः एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 6903/2009 व 10230/2009 के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 24.11.2011 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है। फलस्वरूप, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया आस्थगन लाभ अस्वीकार कर, निर्णय पारित करना पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, पारित अपीलीय आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।

  
(आशा कुमारी)  
15.04.2015  
सदस्य

  
15.4.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य